# अपित का **41314** The Gazette of India

### EXTRAORDINARY

भाग 🛚 खण्ड ३ ंडप-खण्ड (i) PART II -- Section 3 -- Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4371 No. 437]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त ८, २००८/भावण १७, १९३० NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2008/SRAVANA 17, 1930

पोत परिवहन, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(धेत परिवहम विमाग)

(पत्तन स्कंध)

## अधिसुचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 585(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग (पत्तन स्कंध) की दिनांक 17 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 539(अ) के साथ पठित दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008 की अधिस्**य**ना सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 1 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 9 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. ३५३(अ), दिनांक २ जून, २००८ की अधिसूचना स. सा.का.वि. 424(३३), और दिनांक 12 जून, 2008 की अधिसूचना सं. भा का.नि. 453(अ) के क्रम में केन्द्र सरकार, एतदुहारा उपत अधिसूचना में क्रम सं. 9 के बाद निम्नलिखित को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियक्त करती है :---

#### तालिका

10. श्री भी. एन. सुरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बी-124, ओखला इंडस्टीयल एरिया, फेब-I, नई दिल्ली-110020

यहापत्तन न्यास अधिनियम. 1963 की घारा 3(1)(ग) (ii) (4) में परिकल्पित ''अन्य हितों'' के प्रतिनिधि । **।** ६. विकास आयुक्त (विशेष अर्थिक क्षेत्र), काँडला

12. श्री रूपेश सी. साह, अध्यक्ष, गुजराज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गुजरात चैम्बर बिल्डिंग, पो.ऑ. बॉक्स नं. 4045, आश्रम रोड. अहमदाबाद-380009

13. श्री ई करूणनिष, 11 विरूप्त कुमारन स्ट्रीट, राधा नागर, च्रोमपेट, चेन्नई-600044

श्री ए, जानकीरमन, बी. ए.बी.एस., नं. 1, एक्स सर्विसमैन एनक्लेव, सलैबुर, (i) (7) में परिकल्पित चेन्नई-600073

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)

(ii) (4) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि । महापसन न्यास अधिनियय,

1963 की धारा 3(1) (ग) (ii) (4) में परिकल्पित ''अन्य डितों'' के प्रतिनिधि ।

महादश्चन न्यास अधिनियम, 1963 की धरा 3(1) (ग) (i) (7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि ।

महापत्तन स्यास अधिनियम, 1963 की भारा 3(1)(गं) "अन्य हितों" के प्रतिनिधि

[फा. सं. पी. टी.-18011/12/2007-पी दी] राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING) NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2008

G.S.R. 585(E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963),

and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, Ports Wing, No. G.S.R. 194(E), dated 19th March, 2008, No. G.S.R. 298(E), dated 22nd April, 2008, No. G.S.R. 326(E), dated 1st May, 2008, No. G.S.R. 353(E), dated 9th May, 2008, No. G.S.R. 424(E), dated 2nd June, 2008, No. G.S.R. 453(E), dated 12th June, 2008, read with No. G.S.R. 539(E), dated 17th July, 2008, the Central Government hereby appoints the following as trustees after serial number 9 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

#### TABLE

10.	Shri P.N. Suri, Punjab
	Haryana Delhi, Chamber
	of Commerce, B-124, Okhl
	Industrial Area, Phase-I,
	New Delhi-110020.

 Development Commissioner (SEZ) Kandla Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.

> Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.

 Shri Rupesh C. Shah, President, Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Gujarat Chamber Building, P.O. Box No. 4045, Ashram Road, Ahmedabad-380009. Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.

Shri E. Karunanidhi,
Thiruppur Kumaran
Street, Radha Nagar,
Chrompet,
Chennai-600044.

Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.

Shri A. Janakiraman,
B.A.B.L., No. 1 Ex Servicemen Enclave, Salaiyur,
Chennai-600073.

Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.

[F. No. PT-I8011/12/2007-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.